

अध्याय II

सेवा कर का भुगतान न करना

सेवा कर विशिष्ट सेवाओं पर लगाया जाता है। कर की दर 13 मई 2003 तक पांच प्रतिशत, 14 मई 2003 से आठ प्रतिशत, 10 सितम्बर 2004 से 10 प्रतिशत, 18 अप्रैल 2006 से 12 प्रतिशत तथा 24 फरवरी 2009 से 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

सेवा कर के अनुदग्रहण/भुगतान न करने के ₹ 50.36 करोड़ के कुछ निदर्शी मामले निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लिखित हैं। ये आपत्तियां मंत्रालय को 25 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से सम्प्रेषित की गई थी। मंत्रालय/विभाग ने 12 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में आपत्तियां स्वीकार कर ली थी (दिसम्बर 2010 तक) जिनमें ₹ 12.56 करोड़ का राजस्व शामिल था जिसमें से ₹ 48.04 लाख वसूल कर लिए गए थे।

2.1 पंजीकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा कर का भुगतान न किया जाना

2.1.1 सॉफ्टवेयर अनुरक्षण सेवाएं

प्रबंधन, अनुरक्षण अथवा मरम्मत सेवाएं 1 जुलाई 2003 से सेवा कर के दायरे में लाई गई थी। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के अनुरक्षण को दिनांक 21 अगस्त 2003 की अधिसूचना के द्वारा सेवा कर के उदग्रहण से छूट प्राप्त थी। विभाग ने 17 दिसम्बर 2003 को स्पष्ट किया कि कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर पर सेवा कर नहीं लगना था क्योंकि वह माल नहीं था। तथापि, टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज़ बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य {2004 (178) ईएलटी 22 (एससी)} के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सॉफ्टवेयर माल की परिभाषा में आता था। बोर्ड ने दिनांक 7 अक्टूबर 2005 तथा 7 मार्च 2006 के परिपत्र के द्वारा यह स्पष्ट किया कि सॉफ्टवेयर का अनुरक्षण अथवा मरम्मत अथवा सर्विसिंग 9 जुलाई 2004 से वह दिन जब दिनांक 21 अगस्त 2003 की छूट अधिसूचना रद्द हुई थी, सेवा कर के दायी थे।

सॉफ्टवेयर के अनुरक्षण सेवा प्रदान करने में कार्यरत मै. माइंड ट्री लि., बंगलौर ने सेवा कर का भुगतान 9 जुलाई 2004 से करने के बजाए दिसम्बर 2005 से ही करना शुरू किया। इसके परिणामस्वरूप 9 जुलाई 2004 से 30 नवम्बर 2005 की अवधि के लिए ₹ 6320.52 लाख की राशि के सॉफ्टवेयर अनुरक्षण सेवा से उगाहे गए राजस्व पर शिक्षा उपकर सहित ₹ 644.69 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

हमारे बताने पर (अप्रैल 2009), विभाग ने बताया (जून 2010) कि बोर्ड के दिनांक 7 अक्टूबर 2005 के परिपत्र के मद्देनज़र जुलाई 2004 से अक्टूबर 2005 के बीच की अवधि के लिए निर्धारिती द्वारा कोई सेवा कर देय नहीं था। तथापि, सुरक्षा के उपाय के रूप में निर्धारिती को अप्रैल 2010 के दौरान एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बोर्ड ने अपने दिनांक 7 मार्च 2006 के परिपत्र में यह स्पष्ट कर दिया था कि सॉफ्टवेयर अनुरक्षण सेवाओं पर 9 जुलाई 2004 से पूर्वव्यापी प्रभाव से सेवा कर लगेगा।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.1.2 विज्ञापन के लिए स्थान अथवा समय की बिक्री

विज्ञापन सेवा के लिए विज्ञापन स्थान अथवा समय की बिक्री में प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन तथा एक प्रसारण एजेंसी अथवा संगठन द्वारा समय स्लॉट्स की बिक्री को छोड़कर विज्ञापन-पट्टो तथा सार्वजनिक स्थानों पर किसी उत्पाद के डिसप्ले, विज्ञापन, शोकेसिंग के लिए स्थान अथवा समय की बिक्री से संबंधित कोई सेवा शामिल है।

2.1.2.1 तिरुपति कमिश्नरी में रेलवे मंडल गुंतकल तथा अनन्तपुर नगर निगम, गुंटूर कमिश्नरी के अन्तर्गत विजयवाड़ा एवं गुंटूर रेलवे मंडल तथा विजयवाड़ा गुंटूर तेनाली मंगलगिरी (वीजीटीएम) शहरी विकास प्राधिकरण, हैदराबाद कमिश्नरी I तथा III, विशाखापत्तनम I, तथा II, गुंटूर तथा तिरुपति कमिश्नरियों में 53 नगरपालिकाओं तथा 13 नगर निगमों ने 2006-07 से 2008-09 की अवधि के बीच विभिन्न निजी पार्टियों को विज्ञापन स्थान की बिक्री के प्रति ₹ 34.92 करोड़ एकत्र किए परन्तु ₹ 4.27 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया। यह कर ब्याज सहित वसूल किया जाना था।

हमारे द्वारा इसे बताए जाने पर (जून 2009 तथा अप्रैल 2010), विभाग ने चार मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने की सूचना दी। शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.1.2.2 हैदराबाद II कमिश्नरी में मै. हैदराबाद मेट्रो विकास प्राधिकरण (एचएमडीए) ने अचल सम्पत्ति सेवाओं के किराए की सेवाएं तथा विज्ञापन सेवाओं के लिए स्थान की बिक्री की सेवाएं प्रदान की तथा मई 2006 से मई 2007 की अवधि के लिए ₹ 186.12 लाख प्राप्त किए परन्तु सेवा कर का भुगतान नहीं किया। उसने इस प्रकार की प्राप्तियों पर सेवा कर का भुगतान जून 2007 से शुरू किया जबकि यह सर्विस मई, 2006 से सेवाकर के दायरे में लाई गई थी। ब्याज सहित ₹ 22.81 लाख के सेवा कर का भुगतान किया जाना था।

हमारे इसे बताने पर (सितम्बर 2009), विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (जून 2010) कि इस मामले में कार्रवाई शुरू की जा रही थी।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.1.3 आवासीय परिसर निर्माण सेवा

वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 65 (30ए) के अन्तर्गत "परिसर (आवासीय) निर्माण सेवा" का अर्थ है एक नए आवासीय परिसर अथवा उसके एक भाग का निर्माण, आवासीय परिसर अथवा अन्य समान सेवाओं के संबंध में समापन एवं फिनिशिंग सेवाएं अथवा आवासीय परिसर के संबंध में मरम्मत, परिवर्तन, नवीकरण, पुनरूद्धार अथवा इसी प्रकार की सेवाएं।

हैदराबाद IV कमिश्नरी में आवासीय परिसरों के निर्माण हेतु सेवाएं प्रदान करने वाली कम्पनी मै. एलियन डिवेलपर्स (प्रा.) लि. ने "एलियन्स स्पेस स्टेशन" के कार्य के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान ₹ 46.35 करोड़ का बुकिंग अग्रिम प्राप्त किया। निर्धारिती ने इस आधार पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया कि सेवा कर की कोई देयता नहीं थी क्योंकि बोर्ड ने 29 जनवरी 2009 को यह स्पष्ट किया था कि प्रोमोटर्स/बिल्डर्स/डिवलेपरों के बीच प्रारंभिक करार "बेचने के करार" के स्वरूप में था तथा सम्पत्ति विक्रेता (अर्थात् प्रोमोटर/बिल्डर/डिवलेपर) के स्वामित्व में रही। निर्माण के समापन तथा सहमत राशि के पूर्ण भुगतान के पश्चात् ही बिक्री विलेख कार्यान्वित किया गया था तथा सम्पत्ति का स्वामित्व वास्तविक मालिक को अन्तरित किया गया था। परिपत्र इस तर्क पर आधारित था कि अन्तिम मालिक (ग्राहक) को अन्तरण से पूर्व सम्पत्ति प्रोमोटर अथवा डिवलेपर से ही संबंधित थी और इसलिए उसके द्वारा निर्माण के प्रति प्रदान की गई सेवा स्व-सेवा के स्वरूप की थी।

इस मामले में बोर्ड के जिस स्पष्टीकरण का हवाला निर्धारिती दे रहा है वह लागू नहीं है। निर्धारिती अर्थात् प्रोमोटर/ डिवलेपरों /बिल्डर सम्पत्ति का मालिक नहीं था और केवल एक करार एवं जनरल पावर आफ एटार्नी (जीपीए) का धारक था। निर्धारिती तथा भू-मालिकों अर्थात् चिलकमार्शी कुमुन्द रेड्डी तथा चालीस अन्य मालिकों (भूमि एक सुयंक्त सम्पत्ति होने के कारण) के बीच करार से यह स्पष्ट था कि निर्धारिती को सारा खर्चा खुद करते हुए सभी समान कार्यों के साथ एक परिसर के निर्माण द्वारा सम्पत्ति को विकसित करना था। दो पार्टियों के बीच स्वामित्व स्थानान्तरण नहीं था। इसकी इस तथ्य से पुष्टि होती थी कि अभिप्रेत क्रेताओं को फ्लैट का स्वामित्व प्रदान करने वाला अन्तिम बिक्री विलेख भूमि के असली मालिकों और अभिप्रेत क्रेताओं के बीच किया गया था, जिसमें डिवलेपर केवल असली मालिकों की ओर से ही कार्य कर रहा था। अतः यह स्पष्ट था कि इस मामले में निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई सेवा कर योग्य सेवा थी जिसमें ₹ 46.35 करोड़ के सकल मूल्य पर ₹ 1.89 करोड़ का सेवा कर प्राप्त होना था।

हमने इसे विभाग को सितम्बर 2009 में बताया। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.1.4 सर्वेक्षण तथा नक्शा बनाने की सेवा

वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 65(105)(जेडजेडजेडसी) के अन्तर्गत, सर्वेक्षण तथा नक्शा बनाने से संबंधित प्रदान की गई अथवा प्रदान की जाने वाली कोई सेवा 16 जून 2005 से करयोग्य सेवा है। बोर्ड ने अगस्त 2007 में स्पष्ट किया कि एक उप-ठेकेदार अनिवार्यतः एक करयोग्य सेवा प्रदाता है। अधिनियम की धारा 67 के अन्तर्गत दिए गए स्पष्टीकरण (सी) के अनुसार मई 2008 से सकल राशि में अन्य बातों के साथ-साथ बुक समायोजन तथा क्रेडिट अथवा डेबिट की गई कोई राशि, जैसा भी किसी लेखे का मामला हो, चाहे उसे "उचन्त लेखा" कहा जाता हो अथवा सेवा कर का भुगतान करने के लिए दायी एक व्यक्ति के बही खाते में किसी और नाम से पुकारा जाता हो जहां करयोग्य सेवा का लेन-देन किसी सम्बद्ध उद्यम के साथ है, शामिल है।

हैदराबाद II कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. स्पेक स्पेटियल टेक. लि. (एसएसटीएल) हैदराबाद (मै. एसएसएल की सम्पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कम्पनी), जो जीआईएस कंसलटेंसी की तरह करयोग्य सेवाएं तथा आवेदन आधारित स्थानीय सेवाएं प्रदान करती है, ने सर्वेक्षण तथा नक्शे बनाने से संबंधित सेवाओं के लिए मै. एसएसएल से उप-ठेका लिया। इन सेवाओं के लिए मै. एसएसटीएल द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए बुक-ट्रांसफर द्वारा ₹ 12.85 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया गया था। उस पर देय ₹ 1.59 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था और वह ब्याज सहित वसूल किया जाना था।

हमने इसे विभाग को अप्रैल 2010 में सूचित किया। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.1.5 बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(12), वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाओं को बैंकिंग कम्पनी अथवा वित्तीय संस्था के द्वारा प्रदत्त विशिष्ट सेवाओं के रूप में परिभाषित करती है। बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं में वित्तीय पट्टे भी शामिल हैं जिसमें उपस्कर पट्टे पर देना, किराया तथा पट्टा प्रबंधन शामिल है।

हैदराबाद I कमिश्नरी में पेंट तथा थिन्नर का निर्माण कार्य करने वाले मै. एशियन पेंटस लि., पटनचेरू ने किराया आधार पर अपने व्यापारियों को टिंटिंग मशीनें आपूर्त की। टिंटिंग मशीनों का इस्तेमाल व्यापारियों द्वारा, ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार वांछित शेड प्राप्त करने के लिए बेस पेंट को कलर के साथ मिक्स करने के लिए किया जाता था। निर्धारिती ने 2005-06 से 2007-08 वर्षों के दौरान इस किराए के प्रति ₹ 9.19 करोड़ प्राप्त किए। यद्यपि निर्धारिती द्वारा प्राप्त किराया आय पर बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं के अन्तर्गत उपस्कर पट्टे पर देने के लिए ₹ 1.07 करोड़ का सेवा कर बनता था, तथापि, निर्धारिती ने सेवा कर का भुगतान नहीं किया।

हमारे इसे बताने पर (मई 2008), विभाग ने बताया (सितम्बर 2009) कि चूंकि पट्टा किराया व्यापरियों से वसूल किया जाता था न कि ग्राहकों से, अतः निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई सेवाएं बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाएं नहीं मानी जा सकती। यह भी बताया गया था कि पट्टा प्रचालन पट्टे की श्रेणी में आता था न कि वित्तीय पट्टे की श्रेणी में और इसलिए वह करयोग्य नहीं था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था। वित्तीय पट्टे के लिए निर्धारित शर्तें जैसे पट्टाधारी और पट्टादाता के बीच पट्टे के लिए ठेके, पट्टाधारी द्वारा परिसम्पत्ति का प्रयोग, पट्टा अवधि के अन्त में परिसम्पत्ति के स्वामित्व के लिए पट्टाधारी को विकल्प आदि, पट्टा ठेके में पूरी की गई थी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के दिनांक 29 फरवरी 2008 के परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि सेवा की प्राप्ति की स्थिति (जैसे ग्राहक, व्यापारी) सेवा कर के उद्ग्रहण के उद्देश्य से सुसंगतपूर्ण नहीं थी।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.1.6 निर्माण ठेका सेवा

निर्माण ठेका सेवा का अर्थ है निर्माण ठेके के निष्पादन से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त अथवा प्रदान की जाने वाली कोई सेवा। इसमें सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे परिवहन टर्मिनलों, पुलों, सुरंगों तथा बांधों के ठेके शामिल नहीं हैं। वित्त अधिनियम, की धारा 65(3ए) के अनुसार "हवाई अड्डों" का अर्थ है विमानों के लिए उतरने तथा उड़ाने भरने का क्षेत्र जिसमें रनवे तथा विमान अनुरक्षण तथा यात्री सुविधाएं हों जिसमें एरोड्रॉम भी शामिल हैं। जबकि हवाई अड्डे निर्माण ठेका सेवा की परिभाषा में नहीं आते, हवाई अड्डे के निकट किसी निर्माण जो हवाई अड्डे अर्थ से संबंधित किसी मद से संबंधित न हो, पर सेवा कर लगता है।

2.1.6.1 हैदराबाद II कमिश्नरी में मै. एसईडब्ल्यू कंसट्रक्शन्स, हैदराबाद ने ₹ 21.98 करोड़ की लागत पर कार्गो एजेंट के भवन के निर्माण हेतु दिसम्बर 2007 में मै. जीएमआर, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (जीएमआरएचआईएएल), शमशाबाद, हैदराबाद के साथ एक ठेका किया। चूंकि इस प्रकार का निर्माण हवाई अड्डे के निर्माण की परिभाषा में नहीं आता था, इस पर निर्माण ठेका सेवा की श्रेणी के अन्तर्गत सेवा कर लगना था परन्तु ₹ 90.57 लाख के लागू सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था। सेवा कर की ब्याज सहित वसूली की जानी थी।

हमने इसे फरवरी 2010 में विभाग को बताया। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.1.6.2 बेंगलौर (बडे करदाता इकाई) कमिश्नरी में आसंजकों तथा मार्जकों के विनिर्माण में लगा मै. 3एम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड बेंगलौर एक पंजीकृत सेवा प्रदाता भी था। अक्टूबर 2007 के दौरान निर्धारिती ने केनरा बैंक के सिग्नेज बदलने के लिए मै. केनरा बैंक के साथ एक अनुबन्ध किया। कार्य में अन्य बातों के साथ कार्य स्थान से शाखाओं, एटीएम और बैंक के कार्यालयों को सिग्नेज का परिवहन सज्जीकरण, सिग्नेज का उत्थापन, तथा वर्तमान सिग्नेज विखण्डित करना शामिल था। फरवरी 2008 से दिसम्बर 2008 तक की अवधि के दौरान निर्धारिती ने सेवा प्रदान करने के लिए ₹ 19.98 करोड़ का कुल भुगतान प्राप्त किया। यह कार्य ठेका प्रकृति का था परन्तु ₹ 77.07 लाख के सेवाकर का भुगतान नहीं किया था और ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (अप्रैल 2009) तब विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2010) कि यद्यपि निर्धारिती द्वारा किए गए कार्यकलाप में कार्य स्थल पर निरीक्षण, सज्जाकरण तथा प्रतिष्ठापन जैसी की गई सेवाएं शामिल थीं परन्तु निर्धारिती को आकस्मिक सेवाओं के लिए कोई अतिरिक्त आय प्राप्त नहीं हुई और कि सम्पूर्ण मूल्य पर विक्री कर अदा किया गया था। इसलिए निर्धारिती सेवा कर का भुगतान करने का दायी नहीं था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ठेका में न केवल माल की बिक्री बल्कि उत्थापन, प्रतिष्ठापन तथा वायरिंग की सेवाएँ भी शामिल थीं। इसलिए संयुक्त भुगतान सिग्नेज की बिक्री तथा सम्बद्ध सेवाओं दोनों के लिए था और निर्धारिती सेवाकर भुगतान करने का दायी था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.1.7 जनशक्ति भर्ती तथा आपूर्ति एजेंसी सेवाएं

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(68) के अनुसार "जनशक्ति भर्ती या आपूर्ति एजेंसी" का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति को अस्थाई या अन्यथा जनशक्ति की भर्ती या आपूर्ति के लिए किसी रीति में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सेवा प्रदान करने में लगे व्यक्ति से है।

भर्ती तथा आपूर्ति एजेंसी सेवाएं देने में लगे हैदराबाद II कमिश्नरी में दो निर्धारितियों तथा हैदराबाद IV कमिश्नरी में दो निर्धारितियों ने अप्रैल 2006 से मार्च 2008 तक की अवधि के दौरान ₹ 1.48 करोड़ के सेवा प्रभार संग्रहीत किए परन्तु ₹ 18.26 लाख के लागू सेवा कर का भुगतान नहीं किया जो ब्याज तथा शास्ति के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2009) तब विभाग ने दो मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (जुलाई 2009) और सूचित किया कि सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई थी। हैदराबाद II कमिश्नरी के दो निर्धारितियों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.1.8 कारोबार संवर्धन सेवाएं

कारोबार संवर्धन सेवाओं को 1 मई 2006 से सेवा कर जाल में लाया गया था। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(104 सी) के अनुसार कारोबार संवर्धन सेवाओं का अर्थ कारोबार या व्यापार के संबंध में दी गई सेवाओं से है और प्रबन्धक वितरण तथा सम्भार तन्त्र और ढांचागत संवर्धन सेवाएं तथा अन्य संव्यवहार संसाधन आदि शामिल होते हैं।

बैटरी, बौगी तथा लोहा एवं इस्पात उत्पादों के विनिर्माण में लगे क्रमशः कोलकाता सेवा कर कमिश्नरी में मै. एवरेडी इण्डस्ट्रीज इण्डिया लिमिटेड, मै. टैक्समेको लिमिटेड, बेलगढिया और बोलपुर कमिश्नरी में मै. सेल-आईएसपी बर्नपुर ने अपने ग्राहकों के कारोबार तथा व्यापार की सहायता करने के लिए कार्मिक, वाहन, फोन, आतिथ्य, अतिथि गृह सुविधाएं, ढांचागत सहायता, विद्युत, जल आदि प्रदान किए थे। निर्धारितियों ने ऐसी प्रचालनात्मक सहायता तथा ढांचागत सहायता देने के लिए मई 2006 तथा मार्च 2008 के बीच ₹ 273.78 लाख संग्रहीत किए थे परन्तु कारोबार संवर्धन सेवाओं के अन्तर्गत उनपर उदग्राहण ₹ 33.44 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2008, मई 2008 तथा दिसम्बर 2008 के बीच) तब विभाग ने मै. एवरेडी इण्डस्ट्रीज इण्डिया लिमिटेड तथा मै. सेल-आईएसपी सम्बन्धी लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर लीं और मई 2006 से मई 2009 तक की अवधि को कवर करते हुए पहले मामले में ₹ 13.72 लाख और दूसरे मामले में ₹ 7.92 लाख के कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी किए जाने की सूचना दी (नवम्बर 2009)। मै. टैक्समेको लिमिटेड के मामले में विभाग ने कोई कारण बताए बिना आपत्ति को स्वीकार नहीं किया (नवम्बर 2009)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.1.9 व्यापारिक तथा औद्योगिक निर्माण सेवा

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(28) के अनुसार व्यापारिक या औद्योगिक निर्माण सेवा में अन्य बातों के साथ नए भवन या सिविल ढांचे या उसके भाग का निर्माण तथा पाइपलाइन या नाली का निर्माण जो प्राथमिक रूप से व्यापार या उद्योग या व्यापार या उद्योग के लिए अभिप्रेत कार्य के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए है, शामिल होता है परन्तु सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे, परिवहन टर्मिनलों, पुलों, सुरंगों तथा बांधों के संबंध में दी गई सेवा शामिल नहीं होती है।

2.1.9.1 दिल्ली सेवा कर कमिश्नरी में निर्माण सेवाएं देने में लगे मै. अहलकान इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड ने उपठेकेदार के रूप में मै. अहलूवालिया कान्स्ट्रक्चर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के लिए कार्य ठेका किया। निर्धारितियों ने उप ठेका सेवा देने के लिए अप्रैल 2008 से सितम्बर 2008 तक की अवधि के दौरान ₹ 2.49 करोड़ प्राप्त किए। उन पर देय ₹ 30.72 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था जो ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जून 2009) तब विभाग ने बताया (जनवरी 2010) कि उन्होंने ब्याज के साथ कर जमा करने का निर्धारिती को निर्देश दिया था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.1.9.2 मै. हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड चण्डीगढ़ (निगम) ने नए कमरे/दुकानें/हाल/भवनों के निर्माण और हरियाणा राज्य में पर्यटन परिसरों के उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीकरण के लिए नौ ठेकेदारों के साथ अनुबन्ध किए। ठेकेदारों ने सितम्बर 2004 तथा नवम्बर 2007 की अवधि के दौरान ₹ 3.06 करोड़ मूल्य की निगम को निर्माण सेवाएं प्रदान कीं। ₹ 11.33 लाख की राशि के लागू सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था। यह ब्याज तथा शास्ति के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने मार्च 2008 तथा अक्टूबर 2009 में क्रमशः पंचकुला तथा रोहतक कमिश्नरियों को बताया तब केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पंचकुला ने दिसम्बर 2009 में बताया कि मई 2008 तथा जनवरी 2009 के बीच तीन मामलों में ₹ 5.86 लाख (ब्याज सहित) की राशि वसूल करली गई थी और चार मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। रोहतक कमिश्नरी के शेष दो मामलों पर आगे की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (दिसम्बर 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.1.10 कारबार सहायक सेवा

मई 2006 में यथा संशोधित वित्त अधिनियम की धारा 65(19) माल के संवर्धन या विपणन या बिक्री, सेवाओं के संवर्धन या विपणन या कोई ग्राहक देखभाल या चैकों की वसूली आदि के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किसी ग्राहक को दी गई या दी जाने वाली किसी करयोग्य सेवा के अर्थ के लिए "कारबार सहायक सेवा" परिभाषित करती है और कमीशन एजेंट के रूप की सेवाओं को शामिल करती है।

दिनांक 10.05.08 की अधिसूचना द्वारा सन्निविष्ट नियम के नीचे के स्पष्टीकरण के अनुसार जहां किसी सम्बद्ध उद्यम के साथ लेनदेन है, सेवा प्रदाता की लेखा बहियों में कर योग्य सेवा मात्रा के लिए सम्बद्ध उद्यमों के प्रति कोई राशि डेबिट की गई है वहाँ उसको ऐसी सेवा देने के लिए प्राप्त भुगतान के रूप में माना जाएगा।

कोलकाता सेवा कर कमिश्नरी में मै. टिमटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, हुगली ने माल की बिक्री के संबंध में अपनी सहायक कम्पनियों को सेवाएं दीं और संबंधित पार्टी के लेखे को डेबिट करके 2008-09 की अवधि के दौरान ₹ 245.35 लाख का कमीशन वसूल किया। निर्धारिती ने ₹ 25.27 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया जो ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (नवम्बर 2009) तब विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (फरवरी 2010) कि कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी किया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.1.11 अचल सम्पत्ति किराए पर देना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 (90ए) के अनुसार "अचल सम्पत्ति को किराए पर देना" सेवा में किराए पर देना, किराए पर लेना, पट्टे पर देना, लाइसेंस पर देना या वाणिज्यिक कारबार करने या बढ़ाने में उपयोग के लिए अचल सम्पत्ति के अन्य समान प्रबन्ध शामिल होते हैं।

अहमदाबाद III कमिश्नरी में मै. गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन ने प्रतिशतता के आधार पर तेल तथा गैस की खोज के लिए विभिन्न संयुक्त उद्यम भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से उत्पाद भागीदारी ठेके (पीसीएस) किए थे। निर्धारिती ने परिसम्पत्ति उपयोग, स्थान उपयोग तथा भण्डागार उपयोग प्रभारों के प्रति 31 मार्च 2008 को डेबिट नोट के रूप में अन्य पार्टियों से ₹ 87.86 लाख वसूल किए थे। ₹ 10.86 लाख की सेवा कर देयता पूरी नहीं की गई थी और ब्याज के साथ वसूली योग्य थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (दिसम्बर 2008) तब विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (सितम्बर 2009) कि एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था। मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.2 विदेशी सेवा प्रदाताओं से प्राप्त सेवाएं

सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 2(1)(डी)(IV) शर्त लगाता है कि किसी व्यक्ति, जो अनिवासी है या भारत से बाहर है और भारत में उसका कार्यालय नहीं है, द्वारा की गई कर योग्य सेवा के संबंध में भारत में कर योग्य सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति सेवा कर भुगतान करने का दायी है।

2.2.1 बुद्धिजीवी सम्पत्ति अधिकार सेवा

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(55बी) किसी बुद्धिजीवी सम्पत्ति अधिकार के अस्थायी रूप से हस्तान्तरण या उपयोग अनुमत करने के अर्थ के लिए "बुद्धिजीवी सम्पत्ति अधिकार सेवा" को परिभाषित करती है। इसमें अमूर्त सम्पत्ति, यथा, ट्रेड मार्क, डिजाइन, पेटेन्ट आदि का कोई भी अधिकार शामिल होता है। बुद्धिजीवी सम्पत्ति अधिकार सेवा 10 सितम्बर 2004 से करयोग्य है।

2.2.1.1 मुम्बई सेवा कर कमिश्नरी में मै. वन एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने स्टार प्लस तथा स्टार उत्सव चैनलों को वितरित करने तथा बाजार में लाने के लिए अधिकार वन एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को स्टार एल द्वारा देने के लिए मै. सेटेलाइट टेलीविजन एशियन रीजन लिमिटेड (स्टार एल) हांगकांग के साथ एक अनुबन्ध किया। कथित अनुबन्ध में निर्धारिती द्वारा छः वर्षों के लिए ट्रेड मार्क तथा ट्रेड नाम के उपयोग का प्रावधान किया गया था। निर्धारिती ने स्टार एल को 2006-07 तथा 2007-08 वर्षों के लिए ₹ 70.70 करोड़ का विदेशी मुद्रा में भुगतान किया। बुद्धिजीवी सम्पत्ति अधिकार सेवा के अन्तर्गत लागू ₹ 8.71 करोड़ के सेवा कर का निर्धारिती द्वारा भुगतान नहीं किया गया था और ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

हमने मई 2009 में इसका उल्लेख किया, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010)।
मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.2.1.2 अहमदाबाद सेवा कर कमिश्नरी में मै. इंट्रोडयूसिंग (इण्डिया) प्राई. लिमिटेड ने मै. इण्डक्टोथर्म इण्डस्ट्रीज इंक यूएसए से कर योग्य सेवा अर्थात् "बुद्धिजीवी सम्पत्ति सेवा" प्राप्त की थी और अक्टूबर 2005 से मार्च 2007 तक की अवधि के लिए मै. इण्डक्टोथर्म इण्डस्ट्रीज इंक यूएसए को रायल्टी के रूप में ₹ 9.17 करोड़ का भुगतान किया परन्तु ₹ 60.88 लाख की सेवा कर देयता पूरी नहीं की जो ब्याज के साथ वसूली योग्य थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2008) तब विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली और अगस्त 2009 में 1 अक्टूबर 2005 से 23 जनवरी 2006 तक की अवधि के लिए ₹ 8.98 लाख और दिसम्बर 2008 में 1 अक्टूबर 2006 से 31 मार्च 2007 तक की अवधि के लिए ₹ 25.99 लाख की मांग की पुष्टि की। उन्होंने आगे बताया कि 24 जनवरी 2006 से 30 सितम्बर 2006 तक की अवधि के लिए एससीएन जारी नहीं किया जा सका क्योंकि यह प्रतिबन्ध द्वारा बाधित था और कि आवश्यक कार्रवाई आरम्भ करने के लिए मामला सतर्कता अनुभाग को भेजा गया था। 24 जनवरी 2006 से 30 सितम्बर 2006 तक की अवधि के लिए समय पर कार्रवाई करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 25.91 लाख के राजस्व की हानि हुई।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.2.2 कारबार संवर्धन सेवा

हैदराबाद IV कमिश्नरी में परामर्शी सेवाएं देने में लगे मै. डेलोइट कन्सल्टिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद ने 2007-08 तथा 2008-09 वर्षों के दौरान कारबार संवर्धन के प्रति विदेशी ऐजेंसी को ₹ 41.01 करोड़ की राशि का भुगतान किया। निर्धारिती ने ₹ 5.07 करोड़ के सेवाकर का भुगतान नहीं किया जो ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (सितम्बर 2009) तब विभाग ने बताया (फरवरी 2010) कि निर्धारिती को राशि के भुगतान के लिए कहा गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.2.3 कारबार अनुषंगी सेवा

लखनऊ कमिश्नरी में मैसर्स हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विदेशी सेवा प्रदाताओं को पेशेवर, परामर्शी एवं विदेश तकनीकी फीस और कारबार अनुषंगी सेवाओं के लिए वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान ₹ 761.28 लाख और ₹ 785.70 लाख का भुगतान किया किन्तु उपरोक्त भुगतानों पर ₹ 4.27 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया।

जब हमने पाया (फरवरी 2010) तब विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2010) कि एससीएन जारी किया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.2.4 विज्ञापन एजेन्सी सेवा

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(3) के अनुसार विज्ञापन एजेन्सी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो विज्ञापन को डिसप्ले अथवा एकजीविशन तैयार करने के साथ जुड़ी कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है और उसमें एक विज्ञापन परामर्शदाता शामिल होता है। सीबीईसी के दिनांक 31 अक्टूबर 1996 के अनुदेश, व्यापार नोटिस दिनांक 31 अक्टूबर 1996 में भी यह स्पष्ट किया गया था कि "यदि बाजार अनुसन्धान विज्ञापन से सम्बन्धित होता है तब बाजार अनुसन्धान विज्ञापन के सम्बन्ध में सेवा का एक भाग होता है और इस कारण ग्राहक से प्रभारित सभी प्रभार सेवाओं के मूल्य में शामिल योग्य होता हैं।"

मुम्बई सेवा कर कमिश्नरी में मैसर्स लिन्टास इंडिया प्रा. लिमिटेड ने स्टूडियो अनुसन्धान, विपणन और ग्राहक प्रस्तुतिकरण सेवाओं के लिए 2006-07 और 2007-08 के दौरान विदेश सेवा प्रदाताओं को विदेशी मुद्रा में ₹ 378.59 लाख का भुगतान किया। इस प्रकार उपलब्ध करायी गई सेवाएँ विज्ञापन एजेन्सी सेवाओं की परिभाषा के अन्तर्गत शामिल थी और तदनुसार निर्धारिती ₹ 46.56 लाख के सेवा कर के भुगतान के लिए दायी था जो ब्याज के साथ वसूलीयोग्य था।

जब हमने बताया (सितम्बर 2008) तब विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2009) कि निर्धारिती ने कर योग्य और गैर कर योग्य सेवाओं के विभाजन के बाद 2006-07 और 2007-08 अवधि के दौरान ₹ 15.09 लाख के सेवा कर और ₹ 4.67 लाख के ब्याज का भुगतान किया था। यह भी सूचित किया गया था कि गैर कर योग्य सेवाओं के ब्यौरे सत्यापन के लिए निर्धारिती से माँगे गये हैं और देय अतिरिक्त सेवा कर, यदि कोई है, सत्यापन के बाद सूचित किया जाएगा। विभाग का इससे आगे के लिए उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.2.5 परामर्शी इंजीनियर्स सेवा

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(31) उल्लेख करती है कि "परामर्शी इंजीनियर" का तात्पर्य व्यावसायिक रूप से योग्य इंजीनियर अथवा कोई बॉडी कारपोरेट अथवा अन्य फर्म जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इंजीनियरिंग के एक अथवा अधिक विधाओं में ग्राहक को किसी रूप में सलाह, परामर्श अथवा तकनीकी सहायता देता है, से है।

रायपुर कमिश्नरी में मैसर्स स्पैक्ट्रम कोल एंड पावर लिमिटेड कोरबा ने "परामर्शी इंजीनियर सेवा" की श्रेणी के अन्तर्गत पड़ने वाली तकनीकी जानकारी सेवाओं को प्राप्त किया और 2004-05 से 2008-09 के दौरान ₹ 3.39 करोड़ की विदेशी मुद्रा में सेवा प्रभारों का भुगतान किया किन्तु निर्धारिती ने उन सेवाओं के मूल्य पर उदग्राहण ₹ 37.55 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया जो ₹ 16.30 लाख के ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2010), तब विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति (अगस्त 2010) स्वीकार की और सूचित किया कि निर्धारिती ने मार्च 2010 में ब्याज सहित

₹ 15,60,741/- की राशि जमा की। शेष की वसूली की आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.2.6 क्रय आश्वासन सेवा

धारा 65 का खंड (116) शब्द "क्रय आश्वासन दाता" को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करता है:

"क्रय आश्वासन दाता" का अर्थ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (क्रय आश्वासन दाता) नियमावली 1993 के नियम 2 के खंड (एफ) में दिया गया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (क्रय आश्वासन दाता) नियमावली 1993 के नियम 2 (एफ) के अनुसार क्रय आश्वासन दाता का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो एक बॉडी कारपोरेट की प्रतिभूतियों के निर्गम के क्रय आश्वासन दाता कारबार में लगा हुआ है।

दिल्ली सेवा कर कमिश्नरी में मैसर्स एजुकम्प सॉल्युशन लिमिटेड जो प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा उत्पाद और सेवाओं में लगा हुआ है, ने विदेशी व्यापारी बैंकर्स को अक्टूबर 2006 में ₹ 2,52,87,696/- की बीमांकन कमीशन का भुगतान किया। व्यापारी बैंकर द्वारा दी गई सेवाएँ शीर्ष "क्रय आश्वासन दाता" के अन्तर्गत 16 अक्टूबर 1998 से सेवा कर के लिए प्रभार्य थीं।

₹ 11.06 लाख के ब्याज और अधिनियम की धारा 76 से 78 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित शास्ति के अलावा ₹ 30.95 लाख के उपकर सहित सेवा कर उक्त कम्पनी से वसूली योग्य था।

जब हमने इसे बताया (जुलाई 2008) तब विभाग ने बताया (जून 2009) कि कम्पनी ब्याज के साथ कर के भुगतान करने वाली थी।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.2.7 "प्रसारण सेवा" और कारबार परामर्शदाता की सेवाओं का प्रबन्धन

"प्रसारण सेवाएँ" और "प्रबन्धन अथवा कारबार परामर्शदाता की सेवाएँ," क्रमशः 16 जुलाई 2001 और 16 अक्टूबर 1998 से सेवाकर नेट के अन्तर्गत लायी गई थीं।

कोलकाता सेवा कर कमिश्नरी में प्रसारण सेवाएँ देने और ट्रांसमिशन लाइन हार्डवेयर के विनिर्माण करने में लगे मैसर्स स्काई बी (बांगला) और मैसर्स सुप्रीम एंड कम्पनी प्रा. लिमिटेड ने क्रमशः प्रसारण और कारबार परामर्शी सेवाएँ प्राप्त करने के लिए विदेशी सेवा प्रदाताओं को अप्रैल 2006 और मार्च 2009 के बीच ₹ 90.01 लाख का भुगतान किया। निर्धारितियों ने ₹ 10.95 लाख के लागू सेवा कर का भुगतान नहीं किया जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इसे बताया (अप्रैल और मई 2009) तब विभाग ने आपत्तियाँ स्वीकार की और सूचित किया (जून 2009 और जनवरी 2010) कि पहले मामले में ब्याज सहित ₹ 6.81

लाख के सेवा कर वसूल किया गया था और दूसरे मामले में ₹ 5.29 लाख की कारण बताओ एवं माँग नोटिस दिया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2010)।

2.3 अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा कर का भुगतान न करना

सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 4 विनिर्दिष्ट करता है कि सेवा कर के भुगतान करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर पंजीयन के लिए एक आवेदन करेगा जिस तारीख को वित्त अधिनियम के अन्तर्गत सेवा कर उदग्रहीत होता है अथवा कर योग्य सेवा देने के कारबार की शुरुवात की तारीख से यदि ऐसा कारबार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत उदग्रहण भी शुरुवात के बाद शुरू होता है।

2.3.1 आवासीय काम्प्लेक्स निर्माण सेवा

वित्त अधिनियम 2005 की धारा 65 (30ए) के अन्तर्गत "काम्प्लेक्स (आवासीय) निर्माण सेवा" का तात्पर्य नये आवासीय काम्प्लेक्स अथवा उसके किसी भाग का निर्माण, आवासीय काम्प्लेक्स से सम्बन्धित समापन और अंतिम रूप देने वाली सेवाओं अथवा आवासीय काम्प्लेक्स से सम्बन्धित समान सेवाओं का पुनः चालू करने से है।

इंदौर और भोपाल कमिश्नरियों (इंदौर 16 एवं भोपाल 71) में सतासी ठेकेदारों ने "काम्प्लेक्स (आवासीय) निर्माण सेवा" की सेवा दी और अक्टूबर 2006 से अक्टूबर 2009 तक की अवधि के दौरान ₹ 9,355.45 लाख (इंदौर ₹ 991.21 लाख + भोपाल ₹ 8,364.24 लाख) का भुगतान प्राप्त किया। सेवा कर रेंजों के सेवा कर अभिलेखों के साथ उक्त सूचना की प्रारम्भिक जाँच से प्रकट हुआ कि ये ठेकेदार उक्त सेवा के अन्तर्गत विभाग के पास पंजीकृत नहीं थे और इस प्रकार सेवा कर की देयता का निर्वहन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप उपकर (इंदौर ₹ 121.84 लाख + भोपाल ₹ 1029.01 लाख) सहित ₹ 1150.85 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ। सभी मामलों का सत्यापन करना और उसके बाद ब्याज एवं शास्ति सहित सेवा कर की वसूली करना अपेक्षित था।

हमने इसे विभाग को बताया (मार्च 2010) जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.3.2 वाणिज्यिक एवं औद्योगिक निर्माण सेवा

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(28) के अनुसार वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण सेवा में अन्य बातों के साथ-साथ नये भवन का निर्माण अथवा सिविल स्ट्रक्चर अथवा उसका कोई भाग और पाइप लाइन या कन्ड्युइट का निर्माण जिसका वाणिज्य अथवा उद्योग के लिए उपयोग किया गया या अथवा उपयोग किया जाना था अथवा वाणिज्य अथवा उद्योग के लिए अभिप्रेत कार्य शामिल थे किन्तु उसमें सड़के, विमान पत्तन, रेलवे, परिवहन टर्मिनल, ब्रिज, टनल्स और बाँधों के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गई सेवा शामिल नहीं हैं।

भोपाल कमिश्नरी में पाँच ठेकेदारों (सेवा प्रदाता) ने "वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण सेवाएँ" के अन्तर्गत दी गई कर योग्य सेवा के लिए मार्च 2006 से अक्टूबर 2007 तक की अवधि के दौरान निर्माण डिवीजन संख्या (I) एवं (II) सीपीए एंड सीपीडब्ल्यूडी डिवीजन I/II से ₹ 1.88 करोड़ प्राप्त किया। सेवा कर रेंज के सेवा कर अभिलेखों के साथ उक्त सूचना/भुगतान के मिलान/जाँच से यह भी पता चला कि ये सेवा प्रदाता अर्थात् ठेकेदार उक्त सेवा के अन्तर्गत विभाग के पास पंजीकृत नहीं थे और उन्होंने सेवा कर की देयता का निर्वहन नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप इन अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा ₹ 23.14 लाख (उपकर सहित) के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ जो वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73, 75 एवं 76 के अन्तर्गत ब्याज एवं शास्ति के साथ वसूली योग्य था।

हमने इसे विभाग को बताया (फरवरी 2010)। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.3.3 वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(47) के अनुसार फ्रेंचाइजी " का तात्पर्य उस करार से है जिसके माध्यम से फ्रेंचाइजर को माल बिक्री करने अथवा माल विनिर्माण करने अथवा सेवा उपलब्ध कराने अथवा फ्रेंचाइजी के साथ चिन्हित कोई प्रक्रिया करने का प्रतिनिधित्व अधिकार प्रदान किया जाता है जिसमें ट्रेड मार्क, सर्विस मार्क, ट्रेड नाम अथवा लोगो अथवा कोई, ऐसा प्रतीक हो या न हो।

हैदराबाद II कमिश्नरी में मैसर्स लाबेले बाडी केयर प्राइवेट लिमिटेड सिकन्दराबाद जो स्वास्थ्य, फिटनेस और ब्यूटी पार्लर सेवाओं को उपलब्ध कराता था, ने वर्ष 2007-08 और 2008-09 के बीच ब्रांड नाम के उपयोग के लिए कम्पनी के निदेशक के आश्रित को ₹ 85.43 लाख की रायल्टी का भुगतान किया। यद्यपि ब्रांड नाम उपलब्ध कराने की सेवा फ्रेंचाइजी सेवा श्रेणी के अन्तर्गत कर योग्य थी, फिर भी सम्बन्धित व्यक्ति ने न तो सेवा की उक्त श्रेणी के अन्तर्गत अपने को पंजीकृत कराया न ही प्राप्त रायल्टी पर सेवा कर का भुगतान किया। ₹ 10.56 लाख का सेवा कर ब्याज एवं शास्ति के साथ वसूली योग्य था।

हमने इसे फरवरी 2010 में विभाग को बताया। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।